न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

दर्ज दिनांकः– 23.04.2019
निर्णय दिनांकः–25.01.2023

मुकदमा संख्याः– 90 / 2019
जी.सी.एम.एस.नं.– 2019 / 00191

नाहर सिंह बनाम रामसिंह वगै.

वादपत्र विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र बाबत अपास्त करने एकतरफा कार्यवाही अपास्त एंव एक पक्षीय पारीत प्रारम्भिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2016 एवं एकतरफा अंतिम निर्णय दिनांक 21.01.20219 अ0 आदेश 9 नियम 13 एवं धारा 151 सीपीसी

निर्णय

दिनांकः–25.01.2023

प्रार्थी / प्रतिवादी नाहरसिंह पुत्र श्योकरण उम्र 43 वर्ष जाति जाट निवासी मैनपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का जरिये अधिवक्ता इस आशय का पेश किया है कि वाद संख्या 281 / 2014 उनवानी रामसिंह बनाम सुभाष वगै. में एक पक्षीय पारित प्रारम्भिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2016 एवं एक पक्षीय अन्तिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.01.2019 को अपास्तज कर प्रकरण को पुनः दर्ज किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। वाके ग्राम मैनपुरा की भूमि वर्तमान खसरा न. 94, 152, 155, 194, 739 / 95 कुल रकबा 4.46 है0 के विभाजन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ने माननीय न्यायालय के समक्ष नियमित वाद संख्या 281 / 14 उनवानी रामसिंह बनाम सुभाषचन्द्र वगैरह पेश किया। उक्त वाद में प्रार्थी को भी बतौर प्रतिवादी संख्या 2 पक्षकार बनाया गया था। माननीय न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए उक्त वाद में दिनांक 02.06.2016 से आगामी पेश दिनांक 10.08.2016 नियत की गई। उक्त वाद में नियत तिथि (दिनांक 10.08.2016) से पूर्व ही दिनांक 17.06.2016 को एक पक्षीय प्रारम्भिक निर्णय एवं डिक्री से निर्णीत कर दिया। उक्त एक पक्षीय प्रारम्भिक निर्णय एवं डिक्री के अनुक्रम में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अर्थात एक पक्षीय रूप से अन्तिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.01.2019 पारित की गई। प्रार्थी उक्त अन्तिम एक पक्षीयश प्रारम्भिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2019 एवं एक पक्षीय अन्तिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.01.2019 से व्यथित होकर यह प्रार्थना निम्न आधारों पर पेश करता है कि प्रारम्भिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2016 एंव अन्तिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.01. 2019 विरुद्ध पत्रावली एवं साक्ष्य होने से निरस्त होने योग्य है। दिनांक 02.06.2016 को पीठासीन अधिकारी दौरे पर रहने के कारण उक्त दिनांक 02.06.2016 से पूर्व दिनांक 28.03.2016 की आदेशिका के अनुसार प्रकरण जवाब दावा एवं तलबी हेतु नियत था अर्थात प्रकरण में दिनांक 02.06.2016 को जवाब दावा पेश नहीं किया गया था इस प्रकार उक्त प्रकरण जवाब दावा की स्टेज पर रहते हुए प्रारम्भिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2016 एवं अन्तिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.01.2019 निरस्त होने योग्य है। प्रकरण में पूर्व से नियत पेशी दिनांक 10.08.2016 से पूर्व ही सुनवाई के लिए माननीय न्यायलय द्वारा प्रार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किये गये और ना ही प्रार्थी की [illegible] दिनांक 17.06.2016 को कोई आदेश पारित किया गया इस प्रकरण में दिनांक 17.06.2016 [illegible] आदेश एक पक्षीय आदेश है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने [illegible] अन्तिम डिक्री हेतु पुनः दर्ज करने पर दिनांक 13.07.2017 से आगामी [illegible] दिनांक 26.07 [illegible] नितय की गई उसके बाद प्रकरण में दिनांक 26.07.2017 से आगामी पेशी नियत [illegible] दिनांक 04.09.2018 [illegible] लिए कोई नोटिस जारी हुआ और ना ही दिनांक 04.09.2018 से आगामी [illegible] पेशी नियत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:48:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार दिनांक 26.07.2017 एवं दिनांक 04.09.2018 के बाद प्रार्थी को कौनसी तारीख को न्यायालय में हाजिर होना व तारीख माननीय न्यायालय द्वारा नियत ही नहीं की गई तो प्रार्थी का उपस्थित होना भी सम्भव नहीं था इस प्रकार उक्त प्रकरण में प्रारम्भिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2016 एवं अन्तिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.01.2019 से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया इस कारण उक्त निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा काफी समय तक प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं देने पर प्रार्थी दिनांक 15.04.2019 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो प्रार्थी के अधिवक्ता ने उक्त एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दी फिर दिनांक 15.04.2019 को नकल हेतु आवेदन पेश किया, जिस पर प्रार्थी को दिनांक 16.04.2019 को उक्त नकले प्राप्त हुई तो प्रार्थी को उक्त्त एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। इस प्रकार प्रार्थना पत्र जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद पेश कर निवेदन है कि वाद संख्या 281/2014 उनवानी रामसिंह बनाम सुभाष वगै. में एक पक्षीय पारित प्रारम्भिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2016 एवं एक पक्षीय अन्तिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.01.2019 को अपास्त कर प्रकरण को पुनःअ दर्ज किया जाकर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रिजस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी वास्ते जबाबदेही दी गई ।

अप्रार्थी बूंटीराम पुत्र पीरूराम ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के अधिवक्ता के प्रार्थी को आश्वस्त कर रखा था कि प्रार्थी को हर पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता होगी तब वह उसे बुला लेगा। प्रार्थी स्वयं साबित करे धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जाना स्वीकार है। उक्त धारा में शेष कथन गलत है अस्वीकार है। प्रार्थी/आवेदक नाहरसिंह को उक्त प्रकरण की फैसले की जानकारी दिनांक 28.02.2019 को हो चुकी थी क्योंकि रामसिंह आदि द्वारा माननीय न्यायालय के निर्ण के विरुद्ध माननीय भू प्रबन्धक अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प कोर्ट झुन्झुनूं में निर्णय व डिकी के खिलाफ अपील पेश की थी उक्त अपील में आवेदक नाहरसिंह रेस्पोडेण्ट के रूप में पक्षकार दर्ज है जिसको माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2019 की तारीख पेशी के लिए नोटिस जारी करके तलब किया गया था नोटिस की तामिल स्वयं नाहर सिंह पर होकर आई थी जिस पर नाहरसिंह ने दिनांक 28.02.2019 की पेशी के लिए अपना अधिवक्ता रामचन्द्र वर्मा एडवोकेट को नियुक्त करके हाजिर हो गया था इस कारण से आवेदक नाहरसिंह को प्रस्तुत प्रकरण की जानकारी दिनांक 28.02.2019 को हो चुकी थी। दिनांक 28.02.2019 को जानकारी होने के बाद आवेदक ने माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.04.2019 को प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त प्रार्थना पत्र भी अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.03.2019 को हो जाने के उपरान्त पेश किया है। आवेदक नाहरसिंह ने तथ्य छुपाते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष झूठा आवेदन पेश किया है। इस कारण उसे धारा 5 मियाद अधिनियम का कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी नाहरसिंह को धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ नहीं दिया जाकर प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वाद संख्या 281/2014 उनवानी रामसिंह बनाम सुभाष वगै. में एक पक्षीय पारित प्रारम्भिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2016 एवं एक पक्षीय अन्तिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.01.2019 को अपास्त कर प्रकरण को पुनःअ दर्ज किया जाकर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना प्रार्थनीय है। बहस में अप्रार्थी अधिवक्ता ने जबाब में अंकित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थी नाहरसिंह को उक्त प्रकरण के फैसले की जानकारी दिनांक 28.02.2019 को हो चुकी थी क्योकि रामसिंह आदि द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध माननीय भू प्रबन्धक अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प कोर्ट झुन्झुनू में [illegible] डिक्री के खिलाफ अपील कि थी। जिसके जारी नोटिस की तामिल स्वयं नाहरसिंह [illegible] नाहरसिंह ने दिनांक 28.02.2019 की पेशी के लिए अपना अधिवक्त रामचन्द्र [illegible] एडवोकेट को नियुक्त करके हाजिर हो गया था । अत प्रार्थी नाहरसिंह को धारा 5 मियाद अधिनियम [illegible] प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:48:38 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। उनवानी वाद में उपलब्ध सम्मनों का भी अवलोकन किया गया। प्रकरण में कैम्प कोर्ट में पक्षकारान को सुनकर प्राथमिक डिकी दिनांक 17.06.2016 जारी की गई तथा प्रकरण में अन्तिम निर्णय व अन्तिम डिकी दिनांक 21.01.2019 को की गई। उक्त विवेचन से प्रार्थी/प्रतिवादी नं0 2 का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी/प्रतिवादी नं0 2 का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है।

25/1/23
उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 25.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/1/23
उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:48:38 IST
Reason: SelfAttested